



2026:AHC:163611

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 16010 सन् 2026

रुचिन कुमार एवं 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:प्रेम नारायण सिंह

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:जी०ए०

न्यायालय कक्ष संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति चावन प्रकाश

1. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम नारायण सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए० को सुना गया।
2. बी.एन.एस.एस.की धारा 528 के तहत यह वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदकों की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है:

"अतः यह अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के तहत प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र को सहर्ष स्वीकार करने की कृपा करे तथा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते दिनांकित 31.03.2026 के आधार पर, थाना महिला थाना, जिला बागपत में दर्ज मामला अपराध संख्या 73 वर्ष 2022 से उत्पन्न मामला संख्या 700 वर्ष 2023 (राज्य.....बनाम.....रुचित कुमार व अन्य), अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 आई.पी.सी. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, जो माननीय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/फास्ट ट्रैक कोर्ट, बागपत के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाहियों तथा आरोप पत्र संख्या 78 वर्ष 2022, दिनांकित 20.10.2022 के साथ-साथ उपर्युक्त मामले में आवेदकों को धारा 498ए, 323, 504, 506 आई.पी.सी. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आहूत करने वाले माननीय सिविल जज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(जूनियर डिवीजन)/फास्ट ट्रैक कोर्ट, बागपत द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.04.2023 व उससे उत्पन्न समस्त आनुषंगिक कार्यवाहियों को अपस्त करने की कृपा करे।"

3. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों तथा विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने न्यायालय के बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है। आवेदकों ने पक्षकारों के बीच हुए समझौते की शर्तों के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ यह बी० एन० एस० एस० की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया है। इस न्यायालय ने दिनांक 21.04.2026 के आदेश के माध्यम से पक्षकारों तथा समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.05.2026 के आदेश के माध्यम से पक्षकारों तथा समझौता आवेदन का सत्यापन किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों तथा विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने मामले में समझौता कर लिया है और विपक्षी पक्ष संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों तथा विपक्षी पक्षकार संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और इस प्रकार विपक्षी पक्षकार संख्या 2 उपर्युक्त वाद को आवेदकों के विरुद्ध आगे नहीं चलाना चाहता है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 आवेदकों के अभियोजन को वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को आगे चलने दिया जाता है तो कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
4. विद्वान ए० जी० ए० आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुति की सत्यता अथवा उनके द्वारा अवलंबित दस्तावेजों की सत्यता का खंडन नहीं करते हैं। वह प्रस्तुत करते हैं कि यदि उपरोक्त वाद की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस० सी० सी० 466, परबतभाई आहिर उर्फ परबतभाई बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस० सी० सी० 641, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस० सी० सी० 303 तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण, (2019) 5 एस० सी० सी० 688 के मामलों में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों के बीच कुछ संज्ञेय एवं अशमनीय अपराधों के संबंध में भी समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य [2013 (83) ए० सी० सी० 278] में दिए गए निर्णय का भी अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तार से समझाया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय सुविचारित मत रखता है कि उपरोक्त उल्लिखित वाद की कार्यवाही को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
7. तदनुसार, वाद अपराध संख्या 73 सन् 2022, पुलिस थाना महिला थाना, जनपद बागपत से उत्पन्न वाद संख्या 700 सन् 2023 (राज्य बनाम रुचिन कुमार एवं अन्य), धारा 498ए, 323, 504, 506 आई० पी० सी० तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।
8. बी० एन० एस० एस० की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन तदनुसार **अनुमत** किया जाता है।

(चवन प्रकाश, न्यायमूर्ति)

5 अगस्त, 2026

एम० डी० फैसल